

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या.....1862/रग

पटना, दिनांक:- 13-07-13

अधिघोषणा

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-मंशापुर, थाना सं0-33, परगना- धपहर, थाना- करजाईन, अंचल-राधोपुर, जिला- सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् करजाईन थाना की स्थापना के लिए बिहार सरकार के अधीन पुलिस महानिरीक्षक, के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम- मंशापुर थाना- न0 33 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप से कमोवेश 02 डि0 300 वर्गकड़ी (दो डि0 तीन सौ वर्गकड़ी) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:-

पूर्ण खेसरा संख्या:- शून्य

अंश खेसरा संख्या:- 268

चौहद्दी:-


उत्तर:- खेसरा संख्या:- 267

दक्षिण:- खेसरा संख्या:- 268 अंश


पूरब:- खेसरा संख्या- मौजा-करजाईन

पश्चिम:- खेसरा संख्या- 264 पक्की रोड

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


समाहर्ता,
सुपौल।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों- जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच-पॉच प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्ता, सुपौल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं पुलिस अध्यक्ष, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।